तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बअनवान नरपतसिंह वगै. बनाम सरकार अपील संख्या 05/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.03.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अपील पत्रावली पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि है तथा वक्त सेटलमेंट अपीलाधीन आराजी की अपीलांट को खातेदारी नहीं दी गई। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दावे के विचारण में अपीलांट को मौके से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होना संभावित है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाया जावे। राजकीय अभिभाषक ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलांट का कोई हक नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद विवेचन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	